न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 10/2019

अनवान

1. श्रीमती हगामी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल पत्नि श्री कुलदीप जाति गुर्जर निवासी ग्राम न्यारा तहसील नसीराबाद जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बिली बेवा स्व श्री मांगीलाल आयु 70 वर्ष जाति गुर्जर
2. स्व0 श्री कालू पुत्र स्व श्री मांगीलाल विधिक वारिसान
   2/1. नानी बेवा स्व0 श्री कालू आयु 53 वर्ष
   2/2. सन्जू पुत्री स्व0 श्री कालू आयु 40 वर्ष
   2/3. मन्जू पुत्री स्व0 श्री कालू आयु 38 वर्ष
   2/4. गुन्जा पुत्री स्व0 श्री कालू आयु 36 वर्ष
3. बीरम पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल आयु 57 वर्ष जाति गुर्जर
4. चतरू पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल आयु 51 वर्ष
5. कमला पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल आयु 54 वर्ष
   समस्त निवासीगण ग्राम नारेली तहसील व जिला–अजमेर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत नारेली पंचायत समिति श्री नगर जिला–अजमेर
7. तहसीलदार अजमेर जरिये राजस्थान सरकार ..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री डी0डी0 शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पंकज चौहान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 27.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर के वर्किंग जमाबन्दी अनुसार खाता सख्या नई 337 पुरानी 310 खसरा सं0 1961 रकबा 00–10–00, खसरा सं0 1962 रकबा 02–04–10, 1963 रकबा 01–05–05, 1964 रकबा 01–05–05, 1965 रकबा 02–05–00, 1966 रकबा 05–07–10, 1970 रकबा 00–07–10, 1971 रकबा 03–15–03, 1972 रकबा 00–07–02, कुल किता 09 कुल रकबा 23–10–01.10 के 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलान्ट के पिता मांगीलाल थे। अपीलान्ट के पिता श्री मांगीलाल के देहान्त के बाद विरासती नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 20.04.2001 तस्दीक किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 का ही नाम दर्ज किया गया। अपीलान्ट जो कि खातेदार मांगीलाल जी की जायन्दा पुत्री है, उन्हे विवादित आराजीयात से महरूम करने की नियत से उनका नाम विरासती नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। रेस्पो0 सं0 01 से 5 द्वारा तथ्य छुपाकर विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण विधिक प्रावधानों के विपरीत अपने पक्ष में स्वीकृत करवाये जाने से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आयें। रेस्पोडेन्ट संख्या 07 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया। सर्वप्रथम उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.01.19 को हुई जब प्रश्नगत आराजी पर रमजान द्वारा दीवार बनाने का कार्य प्रारम्भ किया तब अपीलार्थीया द्वारा मौके पर जाकर उक्त व्यक्ति को अपीलार्थी के अशं व हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर निमार्ण करने से रोका गया। तब अपीलार्थी को जानकारी हुई कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थीया के मृतक पिता की भूमि में उसके हक हिस्से बाबत नामान्तरकरण नहीं खोला गया है। जानकारी होने के पश्चात प्रार्थिया/अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अन्दर मियाद न्यायालय में पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तो के पूर्णतया विपरीत होकर प्रारम्भ से ही शुन्य है एवं ऐसे शुन्य आदेशों को चुनौति देने की कानूनन कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। अतः जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर के वर्किंग जमाबन्दी अनुसार खाता सख्या नई 337 पुरानी 310 खसरा सं0 1961 रकबा 00–10–0, खसरा सं0 1962 रकबा 02–04–10, 1963 रकबा 01–05–05, 1964 रकबा 01–05–05, 1965 रकबा 02–05–00, 1966 रकबा 05–07–10, 1970 रकबा 00–07–10, 1971 रकबा 03–15–03, 1972 रकबा 00–07–02, कुल किता 09 कुल रकबा 23–10–01.10 के 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलान्ट के पिता मांगीलाल थे। अपीलान्ट्स के पिता श्री मांगीलाल के देहान्त के बाद विरासती नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 20.04.2001 तस्दीक किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 का ही नाम दर्ज किया गया। अपीलान्ट जो कि खातेदार मांगीलाल जी की जायन्दा पुत्री है, उन्हे विवादित आराजीयात से महरूम करने की नियत से उनका नाम विरासती नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। रेस्पो0 सं0 01 से 5 द्वारा तथ्य छुपाकर विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण विधिक प्रावधानों के विपरीत अपने पक्ष में स्वीकृत करवाया। प्रश्नगत भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार स्व0 मागीलाल जी की जाइन्दा पुत्री होने के नाते पैतृक कृषि भूमियों में अपीलान्ट का भी विधिक हक, अधिकार एवं आधिपत्य निहित था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी/जांच किये बिना तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 20.04.2001 निरस्त कर स्व0 मांगीलाल की प्रश्नगत खातेदारी आराजियात में अपीलान्ट का नाम संयोजित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 01 से 05 एवं पैरोकार सरकार ने मुख्यतः कथन किया कि पैतृक खातेदारी भूमि में मृतक खातेदार के सभी वारिसान, जाईन्दा पुत्रो एवं पुत्रियॉ का समान हक अधिकार निहित है। प्रश्नगत आराजी में अपीलान्ट का नाम सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी का विकय/हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार स्व0 मांगीलाल के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना, अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। पैतृक खातेदारी भूमि में पुत्रियों का भी हक हिस्सा निहित होने के बावजूद आक्षेपीय नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम शामिल नहीं किया जाना जाहिर है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 20.04.2001 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, नये सिरे से गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश 60 दिवस में पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

VMSharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner